२. प्रश्नः- अंकेक्षण का अर्थ परिभाषा एवं क्षेत्र
(Meaning, Definition and scope of Auditing)

अंग्रेजी भाषा का 'आडिट' शब्द लैटिन भाषा के 'ऑडिरे' से बना है जिसका अर्थ होता है सुनना (To hear) प्रारंभ में अंकेक्षण का कार्य लेखापालको द्वारा लेखा-पुस्तकों में किये गये लेखों पाल अपने द्वारा किये गये लेखों को किसी अधिकृत व्यक्ति या न्यायाधीश के समक्ष पढ़कर सुनाता था और वह न्यायाधीश जिसे अंकेक्षण कहा जाता था, लेखों के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य देता था।

उदाहरण :- जिस प्रकार काई व्यक्ति अपने शरीर की स्वस्थता की जाँच के लिए डॉक्टर से परीक्षण (जाँच) करता है और डॉक्टर सम्पूर्ण जाँच-पड़ताल के बाद प्रमाण-पत्र देता है कि शरीर स्वस्थ है या नहीं। इसी प्रकार जब कोई व्यवसायी यह जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि उसकी लेखा-पुस्तकें सत्य एवं वास्तविक स्थिति प्रकट करती है या नहीं तो उसके लिए खाता-पुस्तको की जाँच किसी अंकेक्षण से करायी जाती है। पूरी जाँच-पड़ताल के बाद अंकेक्षक लेखा-पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में अपना प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत करता है, इसी क्रिया को अंकेक्षण कहते है।

अंकेक्षण की परिभाषाएँ (Definitions of auditing) :-

1 आर.जी.विलियम्स के शब्दों में, ''अंकेक्षण से आशय व्यापार की पुस्तको खानों तथा प्रमाणकों की जाँच से है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यवसाय का सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने हेतु चिट्ठा नियमानुकुल बनाया गया है या नही।''

2 **ए.डब्लू.हैंसन के शब्दों में** ''लेखा पुस्तको विवरणों की सत्यता की जानकारी के लिए की गयी जाँच अंकेक्षण कहलाती है।

3 **एल.आर.डिक्सी के अनुसार** ''अंकेक्षण लेखा पुस्तको की जाँच है जिससे स्पष्ट हो सके कि लेखे उन लेन-देनो को सही और पूर्णत: स्पष्ट करते हैं या नहीं जिनसे वे संबंधित हैं। कभी-कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि ये लेन-देन उचित अधिकारियों द्वारा समर्थित है या नहीं।

उपयुक्त परिभाषा :- ''अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तको की ऐसी विवेचनात्मक जाँच है जो कि एक योग्य, निष्पक्ष, विवेकशील तथा स्वतन्त्र व्यक्ति द्वारा प्रमाणको प्रपत्रों एवं अन्य सूचनाओ के आधार पर की जाती है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि:

i) एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया लाभ-हानि खाता जो लाभ या हानि प्रदर्शित कर रहा है, सही है या नहीं।
ii) एक निश्चित तिथि पर बनाया गया चिट्ठा संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है या नहीं।
iii) खाते व विवरण नियमानुसार तैयार किये गये हैं या नहीं।''

अंकेक्षण की विशेषताएँ (Characteristics of auditing) :-

i) एक संख्या का होना (There must be an institution) अंकेक्षण किसी भी संस्था का किया जा सकता है चाहे वह सरकारी हो, अर्द्ध सरकारी हो या फिर गैर-सरकारी हो। जैसे :- कॉलेज, हॉस्पीटल, कल्ब, ट्रस्ट आदि।

ii) स्वतन्त्र व्यक्ति का अंकेक्षक होना (An Auditor Must be an independent person) :-
अंकेक्षक ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसका संबंधित व्यवसाय से कोई संबंध नहीं हो, साथ ही दुसरों के गलत प्रभाव में नहीं आये। वे तभी निष्पक्ष भाव से अंकेक्षण के कार्य का निष्पादन कर सकता है।

iii) पुस्तको की शुद्धता एवं सत्यता की जाँच (To examine truthness and fairness of books):- अंकेक्षण के द्वारा इस बात की जानकारी होती है कि संस्था द्वारा तैयार किये गये खाते एवं पुस्तक शुद्ध एवं सत्य है या नहीं।

iv) प्रमाणकों का प्रयोग (Use of vouchers) :- खातों की शुद्धता एवं सत्यता की जाँच के लिए प्रत्येक लेखा का मिलान संबंधित प्रमाणक से किया जाता है।

v) आवश्यक स्पष्ट्रीकरण प्राप्त करना (To get necessary clari fication) :

यह आवश्यक नहीं है कि प्रमाणकों के आधार पर लेखों की जाँच से ही सारे तथ्य स्पष्ट हो जाय। कुछ खास तथ्यों का स्पष्ट्रीकरण संबंधित व्यक्तियों से पूछकर भी करने की आवश्यकता पड़ती हैं।

vi) लाभ एवं हानि तथा आर्थिक स्थिति का सत्यापन (Veribication of probit and loss :-

अंकेक्षक को यह सत्यापित करना होता है कि संस्था द्वारा तैयार किया गया लाभ-हानि खाता सही लाभ व हानि को प्रदर्शित करता है या नहीं, साथ ही आर्थिक चिट्ठा संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है या नहीं।

vii) सिद्धान्तों का पालन करना (To follow the principle) :-

खातों की जाँच एवं लाभ-हानि खाता तथा चिट्ठा को सत्यापित करते समय अंकेक्षक को कुछ सिद्धान्तों की ध्यान में रखना होता है। साथ ही उसे यह भी देखना होता है कि लाभ-हानि खाता एवं चिट्ठा निर्धारित फॉर्म में तैयार किए गए हैं या नहीं।

viii) निश्चित अवधि (Ceriain paid) :- अंकेक्षण का कार्य एक निश्चित अवधि की खाता पुस्तकों की जाँच से संबंधित होता है।

ix) बुद्धिमतापूर्ण (Tact fully) :- अंकेक्षण का कार्य पूरा करने में काफी बुद्धि एवं चतुराई की आवश्यकता पड़ती हैं।

x) प्रतिवेदन (Report) :-

अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाने पर अंकेक्षक की संस्था की लाभदायकता आर्थिक स्थिति, लेखा-पुस्तकों की शुद्धता आदि के संबंध में एक प्रतिवेदन देना होता है जिसे अंकेक्षक का प्रतिवेदक कहते हैं।

अंकेक्षण का क्षेत्र (Scope of Auditing) :-

प्राचीनकाल में अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र सीमित था क्योंकि उन दिनों केवल रोकड़ बही की ही जाँच होती थी। व्यवसाय में लेन देन कम होते थे और जो भी होते थे, प्राय: नकद होते थे परन्तु वर्त्तमान में लेन-देन की मात्रा अत्याधिक हो गयी है। अब केवल नकद लेन-देन ही नहीं होते ह बल्कि अधार-लेन-देन भी बड़ी तादाद में होते है। व्यापार तथा यातायात के साधनों का काफी विकास हआ है, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का बोल-बाला हैं, उद्योग धंधे एकाकी व्यापार तथा साझेदारी के साथ-साथ कंपनी स्वरूप में चलाये जा रहे हैं। अत: ऐसी स्थिति में अंकेक्षण का क्षेत्र व्यापक होना स्वाभाविक है। अलग-अलग संस्थाओं में अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न होते है, फिर भी अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र का निर्धारित करते समय निम्नांकित बातों पर ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता हैं :-

i) अंकेक्षण का उद्देश्य अर्थात अंकेक्षण वैधानिक है या किसी विशेष उद्देश्य से कराया जा रहा है।

ii) तलपट के दोनों योगों में तालमेल है या नहीं।

iii) नियोक्ता द्वारा अंकेक्षण के लिए पूरी सूचनाएँ प्रदान की गयी हैं या नहीं।

iv) यदि कम्पनी है तो पार्षद सीमानियम तथा पार्षद अन्तर्नियम को ध्यान में रखाना।

v) आंतरिक निरीक्षण की प्रथा प्रयोग में लायी जा रही है या नहीं। यदि लायी जा रही है तो क्या वे संतोषप्रद हैं।

vi) अंकेक्षण द्वारा अपनी दूरदर्शिता तथा चातुर्थ का भी प्रयोग किया जाना।

vii) जहाँ तक संभव हो सके अंकेक्षक को सही रिर्पोट देना चाहिए।

* निजी अंकेक्षण में अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण :- निजी अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र का निर्धारण नियोक्ता तथा अंकेक्षक के आपसी समझौता द्वारा होता है। यदि नियोक्ता अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र स्पष्ट करने में असमर्थ होता है तो उसे अंकेक्षण का उद्देश्य बताना होता है जिसके आधार पर अंकेक्षक अपनी चतुर्थ एवं दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अंकेक्षक का कार्य निर्धारित करता है।

* **वैधानिक अंकेक्षण में कार्य-क्षेत्र का निर्धारण :-** जिन संस्थाओं में अंकेक्षण वैधानिक तौर पर कराया जाता है, उसी वैधानिक अंकेक्षण कहते है। उदाहरण :- कम्पनी, सार्वजनिक ट्रस्ट, बैंक, बीमा, कम्पनी इत्यादि।

*

सरकारी अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र का निर्धारण :-

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। वस्तुतः सरकार के प्रशासन की सफलता असफलता अंकेक्षक पर निर्भर करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

1) अंकक्षक को देखना चाहिए कि लेखांकन संबंधी अभिलेख सही हैं तथा वित्तीय विवरण पत्रों में वित्तीय सूचना उचित रूप से प्रदर्शित की गई हैं।

2) अंकक्षक को देखना चाहिए कि लेखांकन संबंधी अभिलेख सही हैं तथा वित्तीय विवरण पत्रों में वित्तीय सूचना उचित रूप से प्रदर्शित की गई हैं।

3) अंकेक्षक के कार्य में उसके स्वयं के द्वारा लिए गये निर्णय ही प्रधान होते हैं।

4) अंकेक्षण की जाँच का क्षेत्र लिखित समझौते द्वारा अथवा विधान की आवश्यकता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अंकेक्षण के कार्य-क्षेत्र में आने वाले कार्य

i) लेखा-पुस्तकों की शुद्धता की जाँच

ii) वार्षिक विवरणों की शुद्धता का सत्यापन

iii) आर्थिक चिट्ठे में दिखाये गये दायित्वों एवं सम्पत्तियों की सत्यता का सत्यापन

iv) अंशधारियों व नियोक्ता की प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

v) प्रतिवेदन में विभिन्न तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करना।

.